अवयस्क के लिए नाम परिवर्तन हेतु दिशा निर्देश

अभिभावकों द्वारा उनके पुत्र/पुत्री के नाम परिवर्तन/उपनाम जोड़ने अथवा हटाने के संदर्भ में भारत के राजपत्र भाग-IV में विभापन देने के लिए सूचना ।

भारत के राजपत्र भाग-IV में विज्ञापन के प्रकाशन के लिए निम्मलिखित दस्तावेज आवश्कता है-

(i) आवेदक द्वारा विधिवत स्वहस्ताक्षरित शपथपत्र

(ii) समाचार पत्र की मूल प्रति

(iii) आवेदक के विधिवत हस्ताक्षर करके तथा निर्धारित स्थान पर दो साक्षियों के हस्ताक्षर युक्त विधिवत टाइप किया गये निर्धारित प्रोफार्मो की दो प्रतियाँ ।

(iv) एम एस वर्ड में बिना साक्षी भाग की मुद्रित सामाग्री समाविष्ट सी. डी.

(v) स्व सत्यापित दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ तथा आई. डी. प्रूफ की फोटोकापी (स्व सत्यापित)

(vi) आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जिसमें यह घोषणा की गयी हो कि हार्ड कापी तथा सॉफ्ट कापी की विषय सूची समान है ।

(vii) अपेक्षित शुल्क के साथ आवेदन पत्र ।

अवयस्कों के नाम बदलने के लिए भारत के राजपत्र भाग-IV साप्ताहिक में दिए निम्नलिखित अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाए:-

1. संबंधित व्यक्ति, चाहे वह पिता हो अथवा माता अपने अवस्यक पुत्र/पुत्री के नाम परिवर्तन को किसी एक प्रमुख स्थानीय समाचार पत्र में अधिसूचित कराएं जिसमें पुत्र/पुत्री का नाम, आवासीय पते सहित पिता/पति का नाम तथा बच्चें की जन्मतिथि का पूरा विवरण दें । पूर्वाक्त अधिसूचना समाविष्ट समाचार पत्र का पूरा पृष्ठ इस विभाग जमा करायें ।

2. अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित शपथपत्र जिसमें आवेदक के आवासीय पते सहित पुत्र/पुत्री की आयु का पूरा ब्यौरा इस विभाग में जमा करायें । विदेश स्थित भारतीय के मामले में संबंधित दूतावास/भारतीय उच्चायुक्त में विधिवत सत्यापित करवाकर मूल रूप में विभाग में जमा करें |

3. कृपया संलग्न नमूने में निर्धारित अनुसार, सभी तरह से पूर्ण मुद्रण सामग्री को अलग से सादें कागज पर टाइप कराकर तथा उस पर नाबालिग के अभिभावक से हस्ताक्षर करके तथा दो साक्षियों से हस्ताक्षर कराकर दो प्रतियों में साफ्ट प्रति के साथ (एम एस वर्ड में सी डी) भेजें । प्रपत्र कम्प्यूटर से टाइप होना चाहिए।

4. यदि आवेदक स्वयं आता है तो वह अपने पासपोर्ट आकार के दो स्वंसत्यापित फोटो तथा अपने पुत्र/पुत्री का एक फोटो साथ लाए । यदि आवेदक आवेदन पत्र डाक द्वारा भेजता है तो आवेदन पत्र के साथ मांगे गए सभी दस्तावेज, अव्यस्क के अभिभावक के दो स्वंसत्यापित फोटो तथा अपने पुत्र/पुत्री का आई डी प्रूफ के साथ पासपोर्ट आकार का एक फोटो भेजें ।

5. नाम परिवर्तन के प्रकाशन का दिनांक 01-04-16 से 31-03-17 तक का मुद्रण शुल्क रू 1700/- है । यह राशि नियंत्रक प्रकाशन, दिल्ली के नाम से अग्रिम रूप से नकद या डिमांड ड्राफ्ट/इंडियन पोस्टल आर्डर के रूप में जमा करनी होगी । यदि आवेदनकर्ता स्वयं आता/आती है तो मुद्रण राशि उपरोक्त दस्तावेजों के साथ इस विभाग में नकद जमा की जा सकती है । प्रवाससी भारतीयों के लिए दिनांक 01-04-14 से 31-03-17 तक भारत के राजपत्र में नाम परिवर्तन के विज्ञापन का मूल्य रू 5100/- होगा । आवेदनकर्ता से यह अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी राजपत्र की प्रति हमारी वेबसाइट www.egazette.nic.in से निम्न चरणों के अनुसार डाउनलोड कर लें क्योंकि दिनांक 30-09-15 के भारत के राजपत्र सं० 602 असाधारण भाग-II, खंड 3 उप खंड (i) के तहत दिनांक 01-10-15 से कागजी प्रतियों का मुद्रण तथा बिक्री पूर्ण रूप से बन्द कर दी गई है तथा यह ई-प्रकाशन के रूप में उपलब्ध होगा ।

चरण	:	राजपत्र खोज करने के लिए
चरण 1	:	राजपत्र खोजें
चरण 2	:	श्रेणी खोजें – साप्राहिक राजपत्र
चरण 3	:	चुनिंदा भाग और खंड में – भाग-IV
चरण 4	:	पहले कैलेंडर (शनिवार की तिथि) से दूसरे कैलेंडर में (शनिवार की तिथि)
चरण 5	:	अपेक्षित पी डी एफ फाईल डाउनलोड करें ।
चरण 6	:	अपना नाम (पुराना)/नया) खोजों के लिए कट्रोल + एफ कुंजी को दबायें ।
चरण 7	:	अपनी प्रति बनाने के लिए पूरा राजपत्र (Gazette) डाउनलोड करें । इसे विभाग द्वारा सत्यापित कराने की आवश्यकता नहीं है

ध्यान दें :-

वेबसाइट द्वारा डाउनलोड की गई राजपत्र की प्रतियों में की गई किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के लिए प्रकाशन विभाग जिम्मेदार नहीं होगा ।

6. मुद्रण प्रभारों सहित पूर्वोक्त सभी काग़जात प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-54 को संबोधित अग्रेषण पत्र के साथ इस विभाग को डाक द्वारा अथवा स्वयं भी आकर स्वंसत्यापित फोटो आई डी प्रूफ के साथ जमा किए जा सकते हैं । काग़जात एक वर्ष से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए ।

7. इस विभाग में जमा कराये गए काग़जात मूल अथवा फोटो प्रति किसी भी स्थिति में वापिस नहीं की जाएंगी |

8. आवेदक द्वारा स्वहस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र देना होगा जिसमें यह घोषणा की होगीकि हार्ड प्रति तथा साफ्ट प्रति में निहित विषयवस्त एक समान है । साथ ही उसे शपथ भी लेनी होगी कि आवेदन किसी भी असंगति अथवा पारावहन हुए नुकसान के लिए स्वयं जिम्मेवार होगा ।

9. इस विषय मे विभाग में सार्वजनिक निपटान समय प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10:00 बजे से 1:00 बजे तथा अपराह्न 2:00 बजे से 4:00 बजे तक रहेगा |

10. आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ आई डी प्रूफ की स्वहस्ताक्षरित फोटो भेजे । स्वयं आकर जमा किए गए अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन ही स्वीकार किए जायेंगे । ऐजेन्ट, एडवोकेट इत्यादि के माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे ।

11. सभी प्रकार से ठीक भरे हुए आवेदन के प्राप्त होने के पश्चात् निवेदन को संबंधित भारत के मुद्रणालय में अधिसूचित करनेके लिए भेज दिया जाएगा ।

12. संबंधित प्रेस में मुद्रण में हुए किसी भी प्रकार के विलंब के लिए यह विभाग जिम्मेवार नहीं होगा ।

13. भारत के राजपत्र के प्रकाशक होने के नाते प्रकाशन नियंत्रक के पास यह अधिकार है कि वह प्रकाशन के लिए प्राप्त किसी भी अधूरी/अस्पष्ट/गैरकानूनी/भ्रामक मुद्रण सामाग्री के अस्वीकार कर सकता है ।

प्रकाशन नियंत्रक

<u>अवयस्क के नाम परिवर्तन के लिए नमूना</u>

<u>सभी रिक्त स्थान सादे कागज़ पर दो प्रतियों में विधिवत टाइप होने चाहिए (दो प्रतियॉ)</u>

सं. विज्ञापन/IV/

मैं जिसे अब तक..पुत्र श्री..में...पद पर कार्यरत निवासी..ने अपने अवयस्क पुत्र/पुत्री..आयु...................वर्ष का नाम परिवर्तन कर लिया है तथा इसके बाद उसे..नाम से जाना जाएं ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस संबंध में मैंने सभी अन्य कानूनी अपेक्षाएं पूरी कर ली हैं ।

(अभिभावक का नाम)

अभिभावक के हस्ताक्षर

साक्षी सं. **1.**

हस्ताक्षर...पूरा

नाम...पता...

....

साक्षी सं. **2.**

हस्ताक्षर...पूरा

नाम...पता...

....